

प्रपत्र-18

परियोजना विवरण :- न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों का निर्माण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत
अल्मोड़ा

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-4.0.40.5.000
तहसील रानीखेत(अल्मोड़ा)

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

तहसीलदार
रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत रेंज,
अल्मोड़ा वन प्रभाग
उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रानीखेत

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.